

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	
6/16	<p>क्र. नं. 54/16                      दिनांक 2.6.16</p> <p>उत्तरान. सोहनलाल ग्राम जगत को                      द्वारा स्वत बेदखली धारा 183 RTI Act</p> <p>वादी की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट                      ने दावा स्वत बेदखली का पेश किया। प्रतिवादन                      किया। दावा दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को                      तलब का पत्रावली कंप कोर्ट ऑफिस में                      दिनांक 20.6.16 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलेक्टर                      टोडाभीम (करोली)</p>	<p>1352-59                      6/6/16</p>
20.6.16	<p>वादी वकील उप. प्रतिवादीगण की ओर से श्री                      रामश्री ली गुप्ता Adv ने भीमो पेश किया। कालान                      ग्राम व जकाब पेश करने समय पाहा। दिनांक                      दिनांक 12.7.16 को पेश है।</p>	
2.8.16	<p>जस्रत पेशी से पेश हुई वकूलाय उप. गतानुसार                      दिनांक 26.8.16 को पेश है।</p>	
26.8.16	<p>वकूलाय उप. प्रतिवादीगण का कालानामा पेश किया।                      वास्ते जकाब दावादि 26.9.16 को पेश है।</p>	

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

18 वकुलाय उप०/ गलानुसार दि० 6.3.18 को पेश हो

18 वकुलाय उप०/ बादी उपस्थित / प्रार्थना पत्र के साथ  
 रखीगमा हो जोन से मुद्दमा आगे नही चालने का  
 कपन का NOT Press किया / बादी मुद्दमा को  
 आगे चलाना नही चाहते हैं। अतः दावा NOT Press  
 में खोजि किया जाता है। पत्रावलोक केसल शुमार हो  
 नम्बर से काम होकर दाखिल दफतर हो

सिद्धांत  
 क. म. म.

क. म. म.